FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** UNA **Year(वर्ष):** 2022
FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0005 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 07/06/2022 01:23 AM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	20

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
1. **Day(दिन):** Intervening Day **Date From(दिनांक से):** 06/06/2022 **Date To(दिनांक तक):** 07/06/2022
Time Period (समय अवधि): Pahar 1 **Time From (समय से):** 07:00 PM **Time To (समय तक):** 12:40 AM
(b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 07/06/2022 **Time (समय):** 12:59 AM
(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 002 **Time (समय):** 07/06/2022 12:59 AM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
1. **(a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-WEST, 2 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :**
(b) Address(पता): Una
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S(थाना का नाम): **District(State)(ज़िला(राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
(a) Name(नाम): Insp. Harish Kumar
(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA
(e) UID No (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	VILLAGE-PS SVACB Una, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-PS SVACB Una, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थाई पता)
1	Dr. Bipan Chander Sharma		STREET NAME-Ward No. 09,COLONY-Mehta Colony,VILLAGE-Purana Hoshiyarpur Road Una,TEHSIL-Una,PS-UNA SADAR,DISTRICT-UNA,STATE-	STREET NAME-Ward No. 09,COLONY-Mehta Colony,VILLAGE-Purana Hoshiyarpur Road Una,TEHSIL-Una,PS-UNA SADAR,DISTRICT-UNA,STATE-

			HIMACHAL PRADESH,INDIA	HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

इस समय एक अदद रूका वदस्त मा0मु0आ0 सुभाष चन्द के बराये कायमी मुकदमा थाना में प्राप्त हुआ है जिसका मजबून जैल हैः- सेवा में, Duty Officer, थाना, रा.स. एवं भ्र, रो, ब्यूरो ऊना, जिला ऊना, हि.प्र. ।श्रीमान जी, राजकीय कार्य के सन्दर्भ में निवेदन इस प्रकार से है कि शिकायत पत्र 15/2022 कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय SV&ACB NR धर्मशाला, जिला कांगड़ा से दिनांक 26-05-2022 को जांच हेतू पुलिस थाना राज्य सतर्कता एवंम भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ऊना , जिला ऊना में प्राप्त हुई थी । जिसका विवरण इस प्रकार से है," सेवा में एस.पी. विजीलैंस धर्मशाला विषय सरकारी डाक्टर द्धारा घर में लाखों की प्रैक्टिस और लाखों के टेस्ट हर महीने करवाने हेतू श्री मान जी पुराना होशियारपुर रोड़ ऊना में मेहता कालोनी में एक डाक्टर विपिन चन्द शर्मा शिशु विशेषज्ञ है जो जो ऊना हास्पिटल में लगभग 25 साल से कार्यरत है और सुबह शाम घर में रोज प्रैक्टिस करता है लाखों की दवाईयां अपने घर में ही बेचता है और लाखों के टेस्ट जो कि 50 परमेंट के कमीशन पर करवाता है और लगभग महीने में 8-10 लाख की प्रैक्टिस करता है इसी तरह एक डाक्टर रवि शर्मा जो सरकारी डाक्टर है फ्रेंड कालोनी में रहता है वह भी सुबह शाम घर में सैकड़ों बच्चे देखकर लाखों रुपये का बिजनेस करते हैं जो दवाई 240 की होती है उसका 800 लेते हैं जो टेस्ट 300 का होता है उसो 800 में करवाते हैं मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन डाक्टरों का सुधार कर गरीब जनता को लूट से बचाएं ।"शिकायत पत्र में लगाए गए आरोपों के सम्बध में आज दिनांक 06-06-2022 को मुखवर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि डाक्टर विपिन चन्द्र शर्मा जो कि RH Una में शिशु विशेषज्ञ है,पिछले काफी अरसा से अपने घर में प्राईवेट प्रैक्टिस करता है तथा घर पर शिशु मरीजों को चेक करता है । जिन्हें चेक करने के लिए यह उनसे मनमानी फीस चार्ज करता है व अपने घर से ही दवाई देता है । जिसके आवास पर यदि आज रेड़ की जाए तो इसे पकड़ा जा सकता है । मुखवर द्धारा सूचित किया गया कि उपरोक्त डाक्टर को किसी शिशु मरीज को चेक करवाने के बहाने पकड़ा जा सकता है । जो शिकायत पत्र की गुप्त छानवीन पर भी पाया गया है कि यह डाक्टर अपने रिहायशी मकान पर मरीजों को चैक करता है तथा चैक करने की एवज में मरीजों से पैसे लेता है तथा दवाईयां भी अपने पास से देता है । जो शिकायत पत्र व आमदा सूचना के सम्बध में हालात तस्दीक करने के लिए स्वतंत्र गवाहों व महिला पुलिस अधिकारी को रेड़ में शामिल करने के लिए पत्र क्रमांक संख्या 1667 द्धारा जिला वन अधिकारी ऊना, पत्र क्रमांक संख्या 1668 द्धारा कार्यकारी अभियन्ता जल शक्ति विभाग ऊना व पत्र क्रमांक संख्या 1666 दिनांक 06-06-2022 द्धारा पुलिस अधीक्षक महोदय ऊना के साथ पत्राचार किया गया । उक्त पत्राचार के सम्बध में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामलोक गांव व डाकघर बाथू तहसील हरोली , जिला ऊना BO वन खण्ड ऊना, श्री रजत कुमार पुत्र श्री देशराज गांव गण्डोली डाकघर गाहली तहसील गलौड़ जिला हमीरपुर कनिष्ठ अभियन्ता IPH Division no. 1 ऊना व निरीक्षक इन्दु देवी I/C Security Branch पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऊना, अन्वेषण ब्यूरो में उपस्थित हुए , जिन्हें रेड़िंग पार्टी में शामिल करके शिकायत पत्र व मुखवर से प्राप्त सूचना के बारे में अवगत करवाया गया । रेड़िंग टीम में शामिल महिला पुलिस निरीक्षक इन्दु देवी को Decoy के रूप में नियुक्त किया गया तथा हिदायत करी गई कि वह अपने बच्चे को उपरोक्त डाक्टर से चैक करने के बहाने अपने साथ लाये क्योंकि बिना किसी बाल मरीज के उक्त सरकारी डाक्टर को मौका पर पकड़ना सम्भव न है तत्पश्चात निरीक्षक इन्दु देवी द्धारी उक्त शिशु विशेषज्ञ को फीस के रूप में दिए जाने वाले 500/500 रुपये के दो नोट दिये , जिनके नम्बर स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार ने लिखाये जिनके नम्वर क्रमश:2EH337141 व 2EH337142 हैं । जो निरीक्षक इन्दु देवी को हिदायत करी कि डाक्टर द्धारा पर्ची या दवाई की राशि मांगने पर उपरोक्त नोटों को ही उन्हें दे , जिस सम्बध में फर्द पेशकर्ता दो अदद भारतीय कंरसी नोट मुवलिक 500/500 रुपये व हवालगी पुलिस थाना में तैयार की गई । श्री राजेश कुमार व श्री रजत कुमार उपरोक्त को स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल किया गया । जो रेडिंग पार्टी को उप-पुलिस अधीक्षक द्वारा दो टीमों में गठित किया गया । जिसमें एक टीम में मन निरीक्षक , निरीक्षक इन्दु देवी व स्वतंत्र गवाह रजत कुमार हाल JE, IPH , उप-पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार की देखरेख में सरकारी गाडी नम्बर HP03C-8197 में मौका मुकाम मेहता कोलोनी पुराना होशियारपुर रोड़ ऊना के लिए रवाना हुआ , जबकि दूसरी टीम में निरीक्षक संजीव कुमार, उप निरीक्षक जसवीर सिंह , HHC सुभाष चन्द व स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार गाड़ी नम्बर HP12E 6793 में I/O किट , सरकारी लैपटाप व प्रिंटर सहित समय लगभग 6.50 वजे शाम मौका के लिए रवाना हुए । उक्त डाक्टर के आवास को जाते हुए निरीक्षक इन्दु देवी द्धारा पुलिस लाईन झलेड़ा से अपनी बेटी को चेक करवाने के उद्देश्य से अपने साथ लिया गया तथा उपरोक्त शिशु विशेषज्ञ के आवास मुकाम मेहता कालोनी पुराना होशियारपुर रोड़ ऊना में पहुंचे । जहां पर काफी अभिभावक अपने बच्चों का चेक अप करवाने के उद्देश्य से डाक्टर विपिन चन्द्र शर्मा के आवास के बाहर खड़े पाए गए । मौका पुराना होशियारपुर रोड़ सड़के के बिल्कुल साथ का होने के कारण व वाहनों की अत्यधिक आवाजाही के कारण रेड़िंग टीम में शामिल सभी सदस्यों को सुविधानुसार गाड़ी के अन्दर ही छुपाव प्राप्त करने की हिदायत की गई । खूफिया रूप

से पता करने पर मालूम हुआ कि उक्त डाक्टर अपने घर में ही उपस्थित है तथा शिशु मरीजों को चेक कर रहा है व चेकअप करने के लिए फीस चार्ज कर रहा है व दवाईयां भी अपने घर से ही दे रहा है। जिस पर निरीक्षक इन्दु देवी को स्वतंत्र गवाह श्री रजत कुमार को हिदायत करी गई कि वह निरीक्षक ईन्दु देवी के साथ वच्चे को चैक कराने के लिये उनके साथ जाये तथा मौका की सारी गतिविधि को वारिकी से देखे। सरकारी voice recorder को निरीक्षक इन्दु देवी के हवाले किया गया तथा इसके संचालन वारा इन्हें समझाया गया तथा हिदायत करी गई कि जब वह वच्चे को चैक कराने के लिये उपरोक्त नामजद डाक्टर के घर जाये तो इस रिकार्डर को On Mode पर कर लें। समय लगभग 09.20 बजे रात निरीक्षक इन्दू देवी द्धारा बच्चे को चेक करवाने के उपरान्त बाहर आकर बतलाया गया कि उपरोक्त शिशु विशेषज्ञ श्री विपिन चन्द्र शर्मा द्धारा इससे बच्चे को चेक करने की एवज में दवाईयों सहित कुल 290/- रुपये लिए गए हैं जिसकी अदायगी इसके द्धारा पहले से निर्धारित किए गए करंसी नोट नम्वर 2EH337141 मुवलिक 500/- रुपये में से की गई है। जिस पर मन निरीक्षक उप-पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार की देखरेख में रेड़िंग टीम सहित उक्त डाक्टर के आवास में दाखिल हुआ। जहां पर सामने वाले कमरा के अंदर बने कैबिननुमा कमरा में एक व्यक्ति मरीजों को चेक करता हुआ पाया गया। जिसे अपना व रेडिंग टीम में शामिल सभी सदस्यों का परिचय दिया गया व इसका नाम व पता पूछा गया। जिसने अपना नाम विपिन चन्द्र शर्मा पुत्र श्री हेम राज शर्मा R/o W. No. 9 Old Hoshiarpur रोड़ बतलाया। तत्पश्चात निरीक्षक इदु देवी द्धारा बतलाया गया कि उक्त डाक्टर द्धारा इससे लिए गए 500/- रुपये के नोट को मेज की Drawl में रखा गया है। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री रजत कुमार को मेज की Drawl खोलन के लिए कहा गया। जिसमें एक डायरी के अन्दर काफी मात्रा में 500, 200 व 100 रुपये के भारतीय करंसी नोट पाए गए। स्वतंत्र गवाह श्री रजत कुमार को इन्दु देवी द्धारा शिशु विशेषज्ञ को फीस व दवाई के रूप में दिए गए करंसी नोट नम्बर 2EH337141 , 500 रुपये को बरामद करंसी नोटों में से खोजने के लिए कहा गया , जो इन्ही करंसी नोटों में बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त बरामदा अन्य करंसी नोटों को स्वतंत्र गवाहन को गिनने के लिए कहा गया , जो कुल 1,27,820/- रुपये पाए गए। इसके अतिरिक्त इसके पास काफी मात्रा में दवाईयों का भण्डारण किया जाना पाया गया। जिस सम्बध में तथ्य सत्यापन हेतू Drug Inspector Una श्री पंकज कुमार को मौका पर आने के लिए उप- पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार द्धारा मोबाईल फोन के माध्यम से सूचित किया गया। जिनके मौका पर आने के उपरान्त इन्हें टीम में शामिल किया गया। जो उपरोक्त शिशु विशेषज्ञ डाक्टर विपिन चन्द्र शर्मा द्धारा दवाईयों के सम्बध में Sale/Purhase/Distribution से सम्बधित रिकार्ड तैयार किया जाना नहीं पाया गया तथा शिशु विशेषज्ञ श्री विपिन चन्द्र शर्मा द्वारा सरकारी नौकर होते हुए अपने आवास में प्राईवेट प्रैक्टिस करके भारी मात्रा में फीस चार्ज किया जाना पाया गया। तदोपरान्त बरामदा करंसी नोट मुवलिक 500/- रुपये को एक अदद Envelop वरंग खाकी में बन्द करके Envelop को एक सफेद रंग के कपड़ा पुलिन्दा में बन्द किया गया तथा कपड़ा पुलिन्दा को मोहर V की पांच मोहरों से सर्वमोहर किया गया। जबकि अन्य बरामदा करंसी नोटों (क्रमश: 500x209=1, 04,500 , 200x21 = 4200, 100x182= 18200 , 50x8= 400 , 20x1 =20 कुल 1,27,320/- रुपयों) में से 500x209=1,04,500 रुपये के भारतीय करंसी नोटों को खाकी रंग के Envelop में डालकर बन्द किया गया तथा 200x21 = 4200, 100x182= 18200 , 50x8= 400 , 20x1 =20, कुल 22820/- रुपयों को भी खाकी रंग के Envelop में अलग से बन्द करके दोनों Envelop को सफेद रंग के एक अलग कपड़ा पुलिन्दा में किया गया तथा कपड़ा पुलिन्दा को मोहर V की सात मोहरों से सर्वमोहर किया गया। नमूना मोहर अलग कपड़ा पर ली गई तथा मोहर बाद प्रयोग हवाले गवाह श्री रजत कुमार के की गई। जो उपरोक्त बरामदा भारतीय करंसी नोट मुवलिक 500/- रुपये व 1,27,320/- रुपयों को फर्द द्वारा साक्ष्य के रूप में कब्जा अन्वेषण ब्यूरो में लिया गया। फर्द मौका पर तैयार की गई तथा सरकारी प्रिंटर से प्रिंट लिया गया। जिस पर शिशु विशेषज्ञ श्री विपन चन्द्र शर्मा के अलवद के रूप में तथा गवाहन श्री रजत कुमार व राजेश कुमार के गवाह के रूप मे हस्ताक्षर करवाये गए। फर्द की एक प्रति निशुल्क श्री विपिन चन्द्र शर्मा को दी गई। जो अब तक के हालात मौका से शिशु विशेषज्ञ श्री विपिन चन्द्र शर्मा द्धारा सरकारी डाक्टर होते हुए अपने आवास पर प्राईवेट प्रैक्टिस करके लोगों से भारी भरकम फीस वसूलना पाया जा रहा है। जो उपरोक्त शिशु विशेषज्ञ का यह कृत्य जुर्म अधीन धारा 20 HPPSCP Act 1983 की जद में आना पाया जा रहा है। जो इसके विरुद्ध रुक्का तैयार करके वदस्त HHC सुभाष चन्द के पुलिस थाना में भेजा जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके मुकदमा नम्बर से सूचित करें। मन निरीक्षक मौका पर अन्वेषण में व्यस्त होता हुं।हस्ताक्षर -निरीक्षक हरीश कुमार, I/o PS SV&ACB Una, Dt. 07-07-2022, camp at Mehta Colony, Old Hoshiarpur Road Una, At 12.40 Am. कार्यवाही पुलिस- रुक्का दुरखास्त से जुर्म जेर धारा 20 Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 का वकूह में आना पाया जा रहा है। जो इस समय आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज थाना SV&ACB ऊना किया गया। FIR की प्रतियां बजरिया प्रिन्टर निकाली जा रही हैं जो मुलाहजा हेतु अफसरानवाला व अदालत मिजाज को भेजी जा रही हैं। मिसल मुकदमा नि0 हरीश कुमार के हवाले करी गई। मुकदमा विशेष प्रतिवेदित है। इसलिये FIR को ही विशेष रिपोर्ट समझा जाए।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Harish Kumar Guleria **Rank (पद):** INSP. (Inspector)

No(सं.): 32647 **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. **District(ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Ranjan Kumar Sharma
Rank (पद): INSP. (Inspector)
No(सं.): 42072

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)